न्यायालय अपर जिला कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी अशोक असीजा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 41/2021

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

राकेश पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम श्रीनगर तह0 हनुमानगढ़

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ईसी एक्ट

उपस्थित:- 1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।

2 श्री राजेन्द्र कुमार पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थी।

-: निर्णय :-

दिनांक 21.06.2021

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.04.2021 को [illegible] रसद अधिकारी हनुमानगढ़ मय कार्यालय स्टाफ के साथ पेट्रोल डीजल की अवैध [illegible] भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम विरुद्ध अभियान के तहत हनुमानगढ़ [illegible] जांच हेतु मैं उपस्थित हुए। मौके पर बोलेरो कैम्पर नं0 RJ 10-GB-0568 की [illegible] तलाशी ली गई। मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष तलाशी के दौरान 800 लीटर डीजल मय फ्यूल डिस्पेंसर टैंक व नोजल मीटरशुदा मिली। वाहन चालक ने स्वयं का नाम राकेश पुत्र ओमप्रकाश उम्र 30 निवासी ग्राम श्रीनगर तह0 हनुमानगढ़ का होना बताया। [illegible] उक्त कैम्पर में भरा समस्त डीजल हरियाणा स्थित पेट्रोल पम्प से खरीद करना बताया एवं डीजल के उपयोग एवं परिवहन के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया एवं न ही कोई वैध दस्तावेज लाईसेंस, परमिट आदि होना बताया। उक्त कैम्पर में लगातार [illegible] एवं परिवहन स्पष्ट करती है कि उक्त वाहन का उपयोग हरियाणा से डीजल खरीद कर राजस्थान में अवैध कारोबार करने में किया जाता है। मौके पर पाये गये 800 लीटर डीजल मय फ्यूल डिस्पेंसर टैंक व नोजल मीटरशुदा के संबंध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 800 लीटर डीजल मय फ्यूल डिस्पेंसर टैंक व नोजल मीटरशुदा को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री अमित पुत्र अश्विनी बजाज जाति अरोड़ा हाल प्रबंधक, बजाज पेट्रोलियम ट्रेडर्स, हनुमानगढ़ [illegible] को सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार राकेश पुत्र ओमप्रकाश उम्र 30 निवासी ग्राम [illegible]नगर तह0 हनुमानगढ़ द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्चवेग डीजल (प्रदाय और वितरण का [illegible]नियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लंघन किया गया है जो कि [illegible]श्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए [illegible] कर राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा निवेदन किया गया कि बोलेरो [illegible] नं0 RJ-10-GB-0568 मय 800 लीटर डीजल मय फ्यूल डिस्पेंसर टैंक व नोजल मीटरशुदा राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी [illegible] आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा पेट्रोल को [illegible]लनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद [illegible] हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के [illegible] दिनांक 12.04.2021 को दिये जा चुके है। [illegible]

मशीन एल एण्ड टी जेसीबी 80 नं0. 4 ट्रैक्टर, 2 बोलेरो व एक बोलेरो कैम्पर है जिसके लिए डीजल की आवश्यकता रहती है। अप्रार्थी स्वंय की व अन्य काश्तकारों की जमीन ठेका पर लेकर काश्त करता है व अन्य साधनों के संचालन के लिए भी अप्रार्थी को डीजल की आवश्यकता रहती है। अप्रार्थी के पास साधन अधिक होने व इस साधनों में डीजल भरने से होने वाले डीजल वेस्टेज से बचने के लिए अपनी बोलेरो कैम्पर पर फ्यूल डिस्पेंसर टैंक लगवा रखा है। अप्रार्थी उक्त डीजल किसी अन्य को विक्रय करने के उद्देश्य से नहीं लेकर आया बल्कि अपने स्वंय के उपयोग एवं उपभोग करने हेतु लेकर आया था। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की गाईड लाईन के अनुसार भी 2500 लीटर तक डीजल परिवहन कर सकता है जबकि अप्रार्थी से 800 लीटर डीजल जब्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधि0 के धारा 6ए के प्रावधानों के विपरीत है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध स्टेट की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, को खारिज कर अप्रार्थी की जब्त बोलेरो कैम्पर नं0 RJ-10-GB-0568 मय 800 लीटर डीजल मय फ्यूल डिस्पेंसर टैंक व नोजल मोटरशुदा को वापस लौटाये जाकर जब्ती की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा जब्तशुदा डीजल मय फ्यूल डिस्पेंसर टैंक व नोजल मोटरशुदा के साथ जब्त किया गया है, जिससे अवैध विक्रय किया जाना सिद्ध होता है। अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध डीजल तेल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के पास स्वयं की 12 बीघा कृषि भूमि ठेका पर लेकर काश्त करता है। अप्रार्थी को अपनी कृषि भूमि काश्त करने एवं अन्य कार्य में अप्रार्थी के पास एक ट्रक 12 चक्का व एक मशीन एल एण्ड टी जेसीबी 80 नं0, 4 ट्रैक्टर, 2 बोलेरो व एक बोलेरो कैम्पर हैं, जिसके लिए डीजल की आवश्यकता रहती है। अप्रार्थी के पास साधन अधिक होने व इस साधनों में डीजल भरने से होने वाले डीजल वेस्टेज से बचने के लिए अपनी बोलेरो कैम्पर पर फ्यूल डिस्पेंसर टैंक लगवा रखा है। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की गाईड लाईन के अनुसार भी 2500 लीटर तक डीजल परिवहन कर सकता है जबकि अप्रार्थी से 800 लीटर डीजल ही जब्त किया गया है। अतः जब्तशुदा वाहन मय डीजल डीजल मय फ्यूल डिस्पेंसर टैंक व नोजल मोटरशुदा अप्रार्थी को लौटाकर प्रार्थी (अप्रार्थी सं0 01) के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा जब्तशुदा डीजल मय फ्यूल डिस्पेंसर टैंक व नोजल मोटरशुदा के साथ जब्त किया गया है, जिससे अवैध डीजल विक्रय किया जाना सिद्ध होता है। रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। ना ही तलाशी के दौरान यह सिद्ध किया ... उसके पास खुद की कितनी कृषि भूमि है, जिसके लिए उसे लगातार डीजल का परिवहन ... पड़ रहा है। अप्रार्थी ने तलाशी के वक्त कोई वाहनो के स्वामित्व के दस्तावेजों एवं कृषि ... के दस्तावेज यथा जमाबंदी आदि प्रस्तुत नहीं किये। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी ... उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है, जिसके ... अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़ का ...र्थना पत्र अंतर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ... लीटर डीजल मय फ्यूल डिस्पेंसर टैंक व नोजल मोटरशुदा को इस न्यायालय द्वारा जिला ...द अधिकारी हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने ...के आदेश दिनांक 12.04.2021 को दिये जा चुके है, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण ... से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट ...शीघ्र में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

जहां तक जब्तशुदा बोलेरो कैम्पर नं0 RJ-10-GB-0568 का प्रश्न है, वाहन मालिक के विरूद्ध दुबारा पुनरावर्ती नहीं हो कि चेतावनी के साथ केवल मात्र इस न्यायालय में दर्ज उक्त दर्ज धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रकरण में जब्तशुदा बोलेरो कैम्पर नं0 RJ-10-GB-0568 को जब्ती से बागुजार (मुक्त) किया जाता है।

अतः -जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को आदेश दिये जाते है कि रजिस्टर्ड मालिक द्वारा वाहन के मालिकाना दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर उक्त जब्तशुदा वाहन बोलेरो कैम्पर नं0 RJ-10-GB-0568 के इंजिन नं0 व चैसिस नम्बर, वाहन की पंजीयन कॉपी (आरसी) से मिलान सही पाये जाने पर नियमानुसार वाहन मालिक को सौंप दिया जाये। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक ....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 21.06.2021

(अशोक असीजा)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़
अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ